खातेदारी अधिकारों की घोषणा

एवं शाश्वत व्यादश हेतु वाद पत्र

उपस्थित अभिभाषकः—
1. श्री विनोद कुमार पारिक — वकील वादी
2. श्री दोलतराम सिल्लु — वकील प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक

वादी की ओर से विनोद पारिक प्रतिवादीगण की ओर से श्री दौलतराम सिल्लु अधिवक्ता की उपस्थिति में आज दिनांक 9.11.21 को डा. अवि गर्ग आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर वाद वादी मुताबिक प्रतिवादीगण 1 से 36 के द्वारा इकबालदावा पेश करने पर व प्रतिवादी संख्या 31 से 36 का इकबाल दावो में अपना हक हिस्सा वादीया पक्ष में छोड़ने को मध्यनजर रखते हुए डिकी कर घोषणा की जाती है कि:— वादीया 1 डीबीएल—ए के प.न. 81/281 मु.न. 29 में किला. न. 7,12,13,14,17 से 24 तादादी 12 बीघा मे स्वर्गीय नन्दलाल पुत्र गोविन्दराम के नामदर्ज 1/2 हिस्सा अर्थात 6 बीघा के खातेदार काश्तकार है। तथा उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। पक्षकार अपना—अपना खर्चा वहन करेगें। वादग्रस्त भुमि का कब्जा होने व स्थगन नहीं होने की सुरत में डिकी पालना नहीं की जावे।

तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भारमुक्त होने की दशा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बिरानी/गेरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना — अपना वहन करेगे।

आज दिनांक 9.11.21 को यह पर्चा डिकी मेरे हस्ताक्षर व मोहर आदालत से जारी की गई।

(डा. अवि गर्ग)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

प्रमाणित प्रतिलिपि

रीडर
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Avi Garg
Date: 2022.02.25 17:01:14 IST
Reason: SelfAttested

मिलान किया

Scanned with CamScanner